



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 554 राँची, गुरुवार,

29 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-37/2019-26405 (HRMS)--श्री बन्धन लांग, झां०प्र०से० (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-84/20), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2292 दिनांक 16.10.2019 से आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित है-

“प्रखण्ड कार्यालय, प्रतापपुर के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान श्री बन्धन लांग ने श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सचिव, प्रतापपुर को सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्धा पेंशन वितरण हेतु दिए गए अग्रिम एवं असमयोजित राशि 1074200/- के समायोजन अथवा वापसी हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई, जिससे लक्षित समुह को योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सका। श्री लांग के इस कृत्य से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ। श्री लांग का यह आचरण सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (3) के प्रतिकूल है।”

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-1084, दिनांक 10.02.2020 श्री लांग से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री लांग के पत्रांक-42, दिनांक 26.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री लांग के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2601, दिनांक 28.05.2020 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-64, दिनांक 24.02.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, चतरा द्वारा मंतव्य में प्रतिवेदित किया गया कि मामला संज्ञान में रहने के बावजूद भी श्री लांग द्वारा दिये गये अग्रिम राशि के समयोजन हेतु कार्रवाई नहीं की गई।

3. श्री लांग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-20954, दिनांक 11.05.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-227, दिनांक 15.09.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री लांग के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होता है, प्रतिवेदित किया गया।

4. श्री लांग के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया है कि संचालन पदाधिकारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि श्री लांग के पदस्थापन अवधि में कुल 24,98,400/- राशि अग्रिम के रूप में दी गयी थी। उनके द्वारा अपने पदस्थापन काल में कुल 42,00,000/- रुपये समायोजन कराया गया। इनके कार्यकाल पूर्ण होने तक मात्र 10,74,200/- रुपये समायोजन हेतु लंबित था।

श्री लांग का पदस्थापन दिनांक 14.09.2009 से 19.02.2011 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के रूप में प्रतापपुर, चतरा में रहा है। उक्त पदस्थापन अवधि 01 वर्ष 07 माह 05 दिन का था। इनके पदस्थापन के पूर्व दी गई अग्रिम राशि असमायोजित रहने के बावजूद भी इनके द्वारा अग्रिम राशि दी गई है। इसके अतिरिक्त श्री श्यामल कुमार आयकत के पास कुल लंबित अग्रिम राशि 63,55,400/- (तिरसठ लाख पचपन हजार चार सौ) रुपये के विरुद्ध मात्र 42,00,000/- (बियालिस लाख) रुपये का ही समायोजन किया गया।

समीक्षोपरांत, विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमत होते हुए श्री लांग के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-231, दिनांक 11.01.2024 द्वारा श्री लांग से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री लांग के पत्र, दिनांक 18.02.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

i. इनका कार्यकाल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, जिला-चतरा में दिनांक 14.07.2009 से 11.07.2011 तक था। जबकि श्री श्यामल कुमार आयकत, तत्कालीन पंचायत सेवक, प्रतापपुर प्रखण्ड को इनके पदस्थापन के पूर्व भी तथा इनके पदस्थापन अवधि में भी वृद्धावस्था पेंशन की राशि संबंधित लाभकों के मध्य वितरण करने हेतु तत्कालीन उपायुक्त के निदेशानुसार चेक के माध्यम से अग्रिम राशि दी गई है। वर्तमान में समायोजन हेतु लंबित राशि 7,39,790.00 (सात लाख उनचालीस हजार सात सौ नब्बे रुपये) है।

ii. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के रूप में इनका पहला पदस्थापन था। वृद्ध एवं गरीब लोगों को ससमय वृद्धापेंशन की राशि प्राप्त हो सके, इस हेतु तत्कालीन उपायुक्त, चतरा से प्राप्त निर्देश के अनुसार ही इनके द्वारा श्री श्यामल कुमार आयकत को वृद्धावस्था पेंशन की राशि वितरण हेतु चेक के माध्यम से अग्रिम के रूप में दी जाती थी। जिलास्तरीय समीक्षा बैठक में अथवा क्षेत्र भ्रमण के क्रम में कभी भी किसी पदाधिकारी/ग्रामीण जनता के द्वारा यह बात उनके संज्ञान में नहीं लाई गई कि श्री आयकत के द्वारा उक्त राशि का वितरण वृद्ध पेंशनभोगियों के मध्य नहीं किया जा रहा है।

iii. श्री श्यामल कुमार आयकत के द्वारा वृद्धापेंशन की राशि नहीं वितरित करने की बात जैसे ही इनके संज्ञान में आयी, इनके द्वारा अविलंब राशि के समायोजन हेतु कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि इनके पूर्ववर्ती प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री अशोक सम्राट के द्वारा श्री आयकत को अग्रिम के रूप में दी गई राशि 3029800.00 (तीस लाख उनतीस हजार आठ सौ रुपये) एवं इनके द्वारा चेक के माध्यम से दी गई राशि 3325600.00 (तैंतीस लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये) कुल 6355400.00 (तीरसठ लाख पचपन हजार चार सौ रुपये) के विरुद्ध श्री आयकत द्वारा इनके पदस्थापन अवधि में ही कुल 42,000,00.00 (बयालीस लाख) रुपये का सामंजन कराया गया है।

iv. पूर्ण राशि समायोजन के पूर्व ही इनका स्थानांतरण हो गया, जिसके कारण ये पूर्ण राशि का समायोजन नहीं करा सके, परंतु इनके द्वारा श्री आयकत पर बनाये गये दवाब के परिणाम स्वरूप इनके स्थानांतरण के ठीक 49 दिन (दो माह के अंदर) में ही पुनः 10,81,200.00 (दस लाख एक्यासी हजार दो सौ) रुपये का सामंजन इनके प्रतिस्थानी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा कराया जा सका।

v. इन्होंने हरसंभव संदर्भित अग्रिम राशि के समायोजन हेतु प्रयास किया है। इनके पदस्थापन अवधि में कुल 33,25,600.00 (तैंतीस लाख पच्चीस हजार छः सौ रुपये) भुगतान की गई अग्रिम के विरुद्ध 42,00,000.00 (बयालीस लाख रुपये) का सामंजन कराया है। अपितु समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई नहीं किये जाने संबंधी इन पर अधिरोपित आरोप सत्य से परे है।

vi. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा श्री श्यामल कुमार आयकत, सेवानिवृत्त पंचायत सेवक से संबंधित विस्तृत जाँच प्रतिवेदन के कंडिका 04 में स्पष्ट अंकित है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री जहुर आलम के द्वारा इसपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया एवं उनके बाद भी पदस्थापित प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

vii. उक्त प्रतिवेदन के कंडिका 10 में अंकित है कि उपायुक्त का कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के पत्रांक 134/सं०सु० दिनांक 10.07.2012 के माध्यम से तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री जहुर आलम को निदेश दिया गया था कि श्री आयकत के जिम्मे अवशेष राशि की वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। लेकिन तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया।

viii. उक्त जाँच प्रतिवेदन से स्वतः स्पष्ट है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री जहुर आलम के द्वारा उपायुक्त, चतरा के निदेश के बावजूद श्री आयकत से अवशेष राशि वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप श्री आयकत से शत-प्रतिशत राशि का समायोजन नहीं हो सका।

ix. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान इनके द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ किया गया है एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का अनुपालन अक्षरशः किया गया है। इनके स्थानान्तरण के पश्चात् पदस्थापित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा राशि समायोजन के संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया गया।

5. श्री लांग से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री लांग द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य/साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है, बल्कि विभागीय कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान को ही दुहराया गया है।

अतः समीक्षोपरान्त, श्री बंधन लांग, (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-84/20) झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बन्धन लांग, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BANDHAN LANG 20080400073	श्री बंधन लांग, (द्वितीय बैच, कोटि क्रमांक-84/20) झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, प्रतापपुर, चतरा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्दु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
